v/;k;&V% vU; dj çkfIr;k

5-1 ys[kkijh{kk dk ifj.kke

वर्ष 2006–07 के दौरान निम्नलिखित प्राप्तियों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 388 मामलों में अन्तर्निहित 83.10 करोड़ रुपये के कर, फीस, शुल्क, के अवनिर्धारण एवं राजस्व के हानि इत्यादि का पता लगा, जो सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते है :

¼djkM #i;s e½

Øe l-	Jsf.k;k	ekeyks dh l[;k	jkf'k
d-	Hkw&jktLo		
1.	सलामी एवं व्यावसायिक लगान का निर्धारण नहीं होना	101	36.63
2.	सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं होना	107	29.43
3.	उपकर एवं/या बकाया उपकर पर ब्याज का नहीं/ कम उद्ग्रहण	43	6.96
4.	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होना	48	1.04
5.	अन्य मामले	10	0.74
	dy	309	74-80
[k-	Áos'k dj		
1.	कर का नहीं/कम उद्ग्रहण	31	2.98
2.	कर के गलत दर का लगाया जाना	13	0.68
3.	अधिक कर संग्रह के लिए अर्थदंड नहीं लगाया जाना	4	0.26
4.	बिक्री राषि के गलत निर्धारण के कारण कम उद्ग्रहण	1	0.19
5.	कर से छूट की अनियमित अनुमति	2	0.08
6.	अन्य मामले	17	4.00
	dy	68	8-19
x-	enkd 'kYd ,o fuca/ku Qhl		
1.	संशोधित दरों की विलंब से प्राप्ति के कारण मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली	4	0.01
2.	अन्य मामले	5	0.03
	dy	9	0-04
?k	fo|qr 'kYd		
1.	विद्युत शुल्क की वसूली न होना	2	0.07
	dy	2	0-07
	dy ;kx	388	83-10

वर्ष 2006–07 के दौरान संबंधित विभागों ने 207 मामलों में सन्निहित 50.73 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया जो वर्ष 2006–07 में इंगित किये गये थे। विभाग ने पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 67 लाख रुपये की वसूली को प्रतिवेदित किया।

दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले जिसमें 2.47 करोड़ रुपये सन्निहित है, निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेख किये गये हैं :

d % Hkw&jktLo

5-2 Hkw&yxku dk fu/kkZj.k ,oa olwyh ugha fd;k tkuk

26 अगस्त 1993 के प्रभाव से संषोधित बिहार काष्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के तहत एक रैय्यत, समाहर्त्ता से पूर्व अनुमति लेकर भूमि को कृषि के अलावे अन्य कार्यों के लिए उपयोग में ला सकता है। समाहर्त्ता ऐसी अनुमति देने से पूर्व पुनः यह निष्चय कर लेंगे कि ऐसी भूमि का लगान तथा उपकर बाजार मूल्य के पाँच प्रतिषत तक परन्तु तीन प्रतिषत से कम न हो। भूमि के उपयोग में किसी प्रकार के परिवर्तन को पता लगाने हेतु अंचल अधिकारी को आवधिक सर्वेक्षण करना है तथा उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार को प्रतिवेदन भेजना है। उप समाहर्ता भूमि सुधार, बषर्तें कि रैय्यत ने उपयोग में परिवर्तन हेतु अनुमति के लिए आवेदन नहीं दिया हो, सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर वाणिज्यिक लगान निर्धारित कर भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन देंगे तथा इसे माँग सृजन करने हेतु अंचल अधिकारी के पास भेजेंगे।

तीन अंचल अधिकारियों[1] के अभिलेखों की अगस्त से सितम्बर 2006 के दौरान किये गये संवीक्षा से पता चला कि वर्ष 2001–02 से 2005–06 के दौरान 25 रैय्यतों, जिनके पास कृषि प्रयोजन हेतु काष्तकारी थी, 38.16 एकड़ भूमि का उपयोग दुकानों, पेट्रोल पंपों, ईंट भट्ठा, चावल मिल, बैंक, कार्यालयों एवं होटलों इत्यादि जैसे वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु किया था। यद्यपि अंचल अधिकारियों ने वाणिज्यिक लगान के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण प्रतिवेदन उप समाहर्ता, भूमि सुधार को भेजा था, उप समाहर्ता, भूमि सुधार ने इस पर कार्रवाई नहीं की। इसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु करने पर लगान एवं उपकर के माँग का सृजन अंचल अधिकारी नहीं कर सके थे। इस प्रकार सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अधार पर भू–लगान एवं उपकर के निर्धारण में उप समाहर्ता, भूमि सुधार की विफलता के फलस्वरूप 1.18 करोड़ रुपये के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

मामले इंगित किये जाने के बाद अंचल अधिकारियों, ने अगस्त तथा सितम्बर 2006 में बतलाया कि मामले संबद्ध उप समाहर्ता, भूमि सुधार को संदर्भित किये जायेंगे। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को मार्च एवं अप्रैल 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

[k % ços'k dj

5-3 xyr nj ij Áos'k dj yxk;k tkuk

बिहार स्थानीय क्षेत्रों में उपयोग, व्यवहार अथवा बिक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर अधिनियम (प्रवेश कर अधिनियम), 1993 के अंतर्गत राज्य सरकार अगस्त 2003 में एक अधिसूचना जारी कर स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेष पर कर के दरों को संषोधित किया। संषोधित दरों के अनुसार मोटर साईकिल एवं भारत निर्मित विदेषी शराब पर क्रमषः आठ एवं 16 प्रतिषत के दर पर प्रवेष कर आरोप्य था।

पाटलिपुत्र वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की सितम्बर–अक्तूबर 2006 में नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 एवं 2005–06 के दौरान तीन व्यवसायियों ने 13.98 करोड़ रुपये मूल्य के मोटर साईकिल एवं भारत निर्मित विदेषी शराब मंगाया,

---

[1] चेनारी, करगहर एवं षिवसागर

जैसा कि मासिक/वार्षिक विवरणी में दर्षाया गया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी अक्तूबर 2004 और मार्च 2006 के बीच कर निर्धारण पूरा करते समय प्रवेष कर का आरोपण या तो संषोधन से पूर्व के दर पर या लागू दर से कम दर पर किया, जिसके फलस्वरूप 46.14 लाख रुपये का प्रवेष कर कम लगाया गया।

मामले इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने अक्तूबर 2006 में बताया कि मामले की जाँच की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को मई 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5-4 vk;kr eY; d fNiko d dkj.k Áos'k dj dk de vkjki.k

बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम के अंतर्गत यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विष्वास करने का ठोस कारण है कि व्यवसायी ने बिक्री राषि के ब्योरे को छिपाया या छोड़ा है या जानबूझकर प्रकट नहीं किया है अथवा ऐसी बिक्री राषि के लिए गलत विवरण दिया है तो उक्त प्राधिकारी वैसी बिक्री राषि पर व्यवसायी द्वारा देय कर की राषि का निर्धारण या पुनर्निर्धारण करेगा तथा छिपायी गयी बिक्री राषि पर निर्धारित किये गये कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड जो कर का अधिकतम तीन गुणा तक किन्तु कम से कम कर के समतुल्य राषि होगा, भुगतान करने के लिए व्यवसायी को निर्देष देगा।

जून एवं अक्तूबर 2006 के बीच किये गये तीन वाणिज्यकर अंचलों की लेखापरीक्षा में तीन व्यवसायियों द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों के साथ रोड परमिट उपयोगिता विवरणी, घोषणा प्रपत्रों, क्रय विवरणियों, व्यापार लेखाओं इत्यादि के तिर्यक जाँच से पता चला कि व्यवसायियों ने वर्ष 2001–02 एवं 2004–05 के बीच 4.60 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित मालों के आयात/क्रय का छिपाव किया। निर्धारण प्राधिकारी मार्च 2004 एवं जनवरी 2006 के बीच कर निर्धारण करते समय छिपाव का पता लगाने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप न्यूनतम आरोप्य अर्थदंड सहित 39.60 लाख रुपये के प्रवेश कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

¼yk[k #i;s esa½

Øe l-	vpy dk uke 0;olkf;;ksa dh l-	vof/k fu/kkZj.k dh ekg	oLrq nj ¼Áfr'kr esa½	okLrfod Ø; y[kkfir fd;k x;k Ø;	fNiko dh jkf'k	Áos'k dj vFkn.M	dj dk de vkjksi.k	fr;d tkfpr vfHkys[k
1.	पाटलिपुत्र 1	2003-04 एवं 2004-05 10/2004 एवं 01/2006	लौह–इस्पात एवं पी भी सी सामग्रियाँ 4 पेन्ट एवं मोटर वाहन 5 विद्युत सामग्रियाँ 8	2,896.99 2,651.00	245.99	10.09 10.09	20.18	क्रय विवरणी एवं हरा रोड परमिट की विवरणी
2.	सासाराम 1	2001-02 11/2004	ट्रैक्टर[2] 4 एवं 5	218.60 26.14	192.46	8.57 8.57	17.14	हरा रोड परमिट की विवरणी/व्यापारिक लेखा एवं प्रतिवेदन
3.	भागलपुर 1	2002-03 03/2004	तम्बाकू 5	63.27 40.44	22.83	1.14 1.14	2.28	क्रय विवरणी एवं प्रतिवेदन
dqy					**461.28**	**19.80** **19.80**	**39.60**	

[2] 25 जुलाई 2001 के प्रभाव से दर को चार से पाँच प्रतिषत बढ़ा दी गई।

मामले इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी, भागलपुर एवं पाटलिपुत्र अंचल ने अगस्त एवं अक्तूबर 2006 में बताया कि मामले की जाँच की जाएगी जबकि निर्धारण प्राधिकारी, सासाराम ने जून 2006 में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए मामले को संषोधित करने का आष्वासन दिया। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को दिसम्बर 2006 एवं मई 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5-5 0;olkf;;ksa dks fucU/ku ugha gksus ds dkj.k dj dk ugha yxk;k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम एवं उसके अधीन बने नियमों एवं निर्गत अनुदेषों के अंतर्गत कुछ विनिर्दिष्ट सामग्रियों (अनुसूचित सामग्रियों) की बिहार में खपत, व्यवहार एवं बिक्री पर प्रवेष कर निर्धारित दर पर लगाया जाता है। प्रत्येक व्यवसायी जो प्रवेष कर अधिनियम के तहत कर भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, उसे निबंधन कराने के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होने के सात दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। निबंधन के लिए आवेदन करने में विफल होने पर कर के साथ–साथ प्रतयेक चूक दिवस के लिये 50 रुपये प्रति दिन की दर से अथवा कर की राषि के समतुल्य राषि में जो कम हो, अर्थदण्ड देना होगा।

पटना विषेष अंचल के अभिलेखों की नवम्बर 2006 में नमूना जाँच के दौरान पता चला कि दो व्यवसायियों, जो बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित थे, ने वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 के बीच 4.17 करोड़ रुपये मूल्य की अनुसूचित सामग्रियाँ मँगाई थी। व्यवसायियों ने प्रवेष कर अधिनियम के अंतर्गत न तो स्वयं को निबंधित कराया था और न ही उपरोक्त सामग्रियों के आयात मूल्य पर प्रवेष कर का भुगतान किया था। निर्धारण प्राधिकारी, इन व्यवसायियों को प्रवेष कर अधिनियम के तहत निबंधित करने तथा विहित दर पर कर का आरोपण करने में भी विफल रहे। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित 31.82 लाख रुपये के प्रवेश कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले इंगित किये जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने नवम्बर 2006 में बतलाया कि मामले कि जाँच की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

मामला सरकार को जून 2007 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5-6 vFkZn.M ugha yxk;k tkuk

बिहार वित्त अधिनियम के साथ पठित प्रवेश कर अधिनियम तथा इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसायी, जिसे कर की भुगतान की देयता प्रवेष कर अधिनियम के अंतर्गत बनती है, सभी अनुसूचित मालों के संबंध में एक सही एवं पूर्ण तथा उस पर भुगतेय कर का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। बिहार वित्त अधिनियम पुनः प्रावधित करता है कि विहित प्राधिकारी को कर निर्धारण से पूर्व यदि बिक्री राषि के छिपाव का पता चलता है तो निर्धारित किये गये कर के अलावे अर्थदण्ड, जो कर का अधिकतम दुगुना किन्तु कम से कम कर के समतुल्य राषि तक होगा, भुगतान करने के लिये व्यवसायी को निर्देष देगा। प्रवेष कर अधिनियम पुनः प्रावधित करता है कि बिहार वित्त अधिनियम के अन्तर्गत विवरणियों, कर निर्धारण, पुनर्निर्धारण, बिक्री राषि का छिपाव, कर की वसूली, अपराध एवं अर्थदण्ड इत्यादि से संबंधित प्रावधान प्रवेष कर अधिनियम के तहत भी लागू होंगे। पुनः विभाग द्वारा नवम्बर 1998 एवं मई 2002 में निर्गत कार्यपालिका अनुदेषों के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी को विवरणियों की समीक्षा

करनी है तथा चूककर्ता व्यवसायियों के विरूद्ध बिहार वित्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारंभ करनी है।

5-6-1 मुंगेर वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की मई 2006 में की गई नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि एक व्यवसायी ने वर्ष 2003–04 के दौरान अपने विवरणी में 15.69 लाख रुपये के अनुसूचित सामग्रियों के आयात को दर्षाया था। इन विवरणियों की रोड परमिट के उपयोगिता विवरणियों के साथ तिर्यक जाँच करने पर पता चला कि व्यवसायी ने वस्तुतः 1.71 करोड़ रुपये मूल्य के अनुसूचित सामग्रियों का आयात किया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी विवरणियों की समीक्षा तथा 1.55 करोड़ रुपये के आयात मूल्य के छिपाव का पता लगाने में विफल रहे, जिसके फलस्वरूप 6.80 लाख रुपये का न्यूनतम अर्थदण्ड नहीं लगाया गया।

मामले इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने मई 2006 में बताया कि मामले की जांच की जाएगी। आगे उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।

5-6-2 भभुआ वाणिज्यकर अंचल के अभिलेखों की जुलाई 2006 में की गई नमूना जाँच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 की अवधि में एक व्यवसायी ने 4.68 करोड़ रुपये के सामग्रियों के वास्तविक क्रय, जैसा कि वाणिज्यकर आयुक्त, बिहार द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को सूचित किया गया था, के विरूद्ध अपनी विवरणियों में 3.71 करोड़ रुपये के अनुसूचित सामग्रियों के आयात को दर्षाया था। हालाँकि निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यकर आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचनाओं के आलोक में विवरणियों की समीक्षा करने में विफल रहे तथा इस प्रकार 96.93 लाख रुपये के छिपाव का पता नहीं लगा सके, जिसके कारण 3.88 लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को इंगित किए जाने के बाद निर्धारण प्राधिकारी ने जुलाई 2007 में सूचित किया कि माँग का सृजन कर दिया गया है। वसूली का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2007)।

मामले सरकार को जनवरी एवं फरवरी 2007 में प्रतिवेदित किये गये थे; उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2007)।